



प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक

प्रायोजक : पंजाब नेशनल बैंक

मुख्य कार्यालय : प्रथमा भवन, राम गंगा विहार
फेज-2, कांठ रोड, मुरादाबाद-244001, उ.प्र.

सार्वजनिक नीलामी द्वारा सम्पत्तियों की बिक्री हेतु सूचना

(वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुर्नगठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के नियमानुसार) (नियम 8 (6) के तहत)

(वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुर्नगठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के नियमानुसार) (नियम 8(6) के तहत, यद्यपि प्राधिकृत अधिकारी प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारी का प्रयोग करते उक्त अधिनियम की धारा 13(62) एवं सहपठित नियमों के अंतर्गत ऋणकर्ता एवं सनुबन्धियों को उनके सम्मुख अंकित तिथियों को नोटिस जारी कर उनसे 60 दिनों के अंदर मांग सूचना पत्र में वर्णित धनराशि अदा करने की मांग की थी। ऋणी/सहअनुबन्धियों/बंधककर्ताओं द्वारा उपरोक्त समय अवधि में उक्त धनराशि जमा नहीं करने के कारण प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) एवं सहपठित नियम (8) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्न वर्णित आलों में उनके सम्मुख अंकित तिथियों का सांकेतिक कब्जा प्राप्त कर लिया गया। इस पर भी ऋणी/सहअनुबन्धियों/बंधककर्ताओं द्वारा उक्त धनराशि जमा नहीं करने के कारण बैंक में बंधक अवल सम्पत्ति को नीचे दिये गये विवरण के अनुसार नीलामी द्वारा विक्रम किया जाएगा। अतः इच्छुक यक्तियों को नीलामी में सम्मिलित होने हेतु आमन्त्रित किया जाता है।

क्र. सं.	ऋणी/ सहअनुबंधियों/शाखा का विवरण	बंधक अवल सम्पत्ति एवं बंधककर्ताओं का विवरण	मांग सूचना की दिनांक एवं देय राशि/ कब्जे की दिनांक एवं स्थिति	न्यूनतम आरक्षित मूल्य/धरोहर राशि एवं जमा करने की अंतिम दिनांक	नीलामी की दिनांक व समय/ स्थान
1.	ऋणी:- श्री पवन कुमार सिंह पुत्र श्री श्याम नंदन सिंह एवं श्रीमति पूजा उर्फ पूजा सिंह पत्नी श्री पवन कुमार सिंह, निवासीगण : मकान न.- 2/333, बुद्धि बिहार, आवास विकास कालोनी, मुरादाबाद, सहअनुबन्धी:- 1. श्री अमित कुमार पुत्र श्री तारकेश्वर सिंह, निवासी: मकान न.- 2/333, बुद्धि बिहार, आवास विकास कालोनी, मुरादाबाद, 2. श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री बाबू सिंह, निवासी: B2- 256, आशियाना कालोनी, फेज-2, मुरादाबाद। शाखा: खुशहालपुर, मुरादाबाद	एक आवासीय भवन संख्या: 2/651 स्थित बुद्धि बिहार सेक्टर-2, आवास विकास कालोनी, मुरादाबाद, क्षेत्रफल:- 39.53 वर्ग मीटर, जोकि श्रीमति पूजा देवी उर्फ पूजा सिंह उर्फ पूजा पत्नी श्री पवन कुमार सिंह एवं श्री पवन कुमार सिंह पुत्र श्री श्याम नंदन सिंह के नाम पंजीकृत है। सम्पत्ति की चतुरसीमाएँ: पूर्व:- सड़क 9 मी. चौड़ी, पश्चिम:- मकान संख्या- 2/650, उत्तर:- मकान संख्या- 2/616, दक्षिण:- सड़क 6 मीटर चौड़ी।	25.07.2023 रु. 15,54,563/- + ब्याज व अन्य खर्चे दिनांक 03-07-2023 तक 13-10-2023 सांकेतिक	रु. 27,00,000/- रु. 2,70,000/- दिनांक 13.03.2024 नीलामी से पूर्व	दिनांक 13.03.2024 अप. : 12.00 बजे से 02.00 बजे तक शाखा खुशहालपुर शाखा परिसर मुरादाबाद
2.	ऋणी:- श्री मोहम्मद यूसुफ पुत्र श्री मोहम्मद यूसुफ, निवासी: मकान न.- 76/E-11 मुफ्ती टोला, मुरादाबाद, सहअनुबन्धी:- 1. श्रीमति तारिका तबरसुम पत्नी श्री मोहम्मद यूसुफ, निवासी: मकान न.- 76/E-11 मुफ्ती टोला, मुरादाबाद, 2. श्री मुमताज हुसैन पुत्र श्री जाकिर हुसैन, निवासी: अबिद नगर, करुला, मुरादाबाद। शाखा: लालबाग, मुरादाबाद	एक भूखंड वर्तमान में निर्मित स्थित बरबारा माजरा, मुरादाबाद, क्षेत्रफल:- 96.06 वर्ग मीटर जोकि श्रीमति तारिका तबरसुम पत्नी श्री मोहम्मद यूसुफ के नाम पंजीकृत है, सम्पत्ति की चतुरसीमाएँ: पूर्व:- संपत्ति मुन्ने मियां, पश्चिम:- भूखंड मोहम्मद यूसुफ, उत्तर:- संपत्ति मोहम्मद यूसुफ, दक्षिण:- आम रास्ता 10 फीट चौड़ी।	24.01.2008 रु. 5,61,493/- + ब्याज व अन्य खर्चे दिनांक 31-12-2007 तक 18-09-2008 सांकेतिक	रु. 9,76,000/- रु. 97,600/- दिनांक 13.03.2024 नीलामी से पूर्व	दिनांक 13.03.2024 अप. : 12.00 बजे से 02.00 बजे तक शाखा लालबाग शाखा परिसर मुरादाबाद
3.	ऋणी:- श्रीमती ममता देवी पत्नी श्री विनोद कुमार, निवासी:- गुरुराम वाली गली, अवंतिका नगर, गजरोला, तहसील- धनौरा, जिला-अमरोहा। सहअनुबन्धी:- 1. श्री सुनील कुमार पुत्र श्री रघुनंदन सिंह, निवासी:- अवंतिका नगर, गजरोला, तहसील- धनौरा, जिला-अमरोहा, 2. श्री अनुराग शिवकर्म सिंह पुत्र श्री घनश्याम सिंह, निवासी:- अवंतिका नगर, गजरोला, तहसील- धनौरा, जिला-अमरोहा। शाखा: गजरोला	एक आवासीय भवन जिसका क्षेत्रफल 59.83 वर्ग मीटर है स्थित गुरुराम वाली गली, अवंतिका नगर, गजरोला, तहसील-धनौरा, जिला-अमरोहा जिसका विक्रय विलेख उप-निबंधक, धनौरा, जिला-अमरोहा के कार्यालय में क्रम संख्या- 6918/2015 पर श्रीमती ममता देवी पत्नी श्री विनोद कुमार के नाम पंजीकृत है। चतुरसीमाएँ:- पूर्व:- नरेंद्र का घर, पश्चिम:- हरकेश का घर, उत्तर:- राजेंद्र का घर, दक्षिण:- रास्ता 8 फीट।	14.09.2023 रु. 17,90,240.36, + ब्याज व अन्य खर्चे दिनांक 31.08.2023 तक 01.12.2023 सांकेतिक	रु. 19,50,000/- रु. 1,95,000/- दिनांक 11.03.2024 नीलामी से पूर्व	दिनांक 11.03.2024 अप. : 12.00 बजे से 02.00 बजे तक क्षेत्रीय कार्यालय परिसर अलीपुर चौपाल, गजरोला
4.	ऋणी:- मैसर्स पर्व ट्रेडर्स, फर्म स्वामी:- श्रीमती बलवीर कौर पत्नी श्री सुरेंद्र सिंह, निवासी:- सादुल्लापुर, गजरौला, जिला-अमरोहा, (उ.प्र.) सहअनुबंधी:- 1. श्री सुरेंद्र सिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह, निवासी:- सादुल्लापुर, गजरौला, जिला-अमरोहा, 2. श्री गुरुमीत सिंह पुत्र श्री सुरेंद्र सिंह, निवासी:- सादुल्लापुर, गजरौला, जिला-अमरोहा। शाखा: नाईपुरा खादर, गजरौला	एक आवासीय भवन जिसका क्षेत्रफल 85.70 वर्ग मीटर स्थित है सादुल्लापुर, गजरौला, तहसील-हसनपुर, जिला-अमरोहा जिसका विक्रय विलेख उप-निबंधक हसनपुर, जिला-अमरोहा के कार्यालय में क्रमांक-16959/2015 पर श्रीमती बलवीर कौर पत्नी श्री सुरेंद्र सिंह के नाम पंजीकृत है। चतुरसीमाएँ:- पूर्व:- 12 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिम:- भूखंड भारतीय फाउंडेशन, उत्तर:- भूखंड रमेश, दक्षिण:- भूखंड हेमलता।	26.07.2023 रु. 7,61,873.61, + ब्याज व अन्य खर्चे दिनांक 30.06.2023 तक 21.10.2023 सांकेतिक	रु. 10,10,000/- रु. 1,01,000/- दिनांक 11.03.2024 नीलामी से पूर्व	दिनांक 11.03.2024 अप. : 12.00 बजे से 02.00 बजे तक क्षेत्रीय कार्यालय परिसर अलीपुर चौपाल, गजरौला

नीलामी की नियम एवं शर्त:- 1. नीलामी में भाग लेने हेतु बोलीदाता को नीलामी से पूर्व धरोहर राशि हेतु ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर/आरटीएस/एनईएफटी के माध्यम से आरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत धनराशि 'प्राधिकृत अधिकारी प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक' के पक्ष में जमा करना होगा। 2. बोलीदाता को अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड साथ लाना अनिवार्य होगा। 3. सफल बोलीदाता को बोली स्वीकार किये जाने के पश्चात उसी दिन सफल बोली की 25 प्रतिशत (धरोहर राशि समायोजित करते हुए) धनराशि जमा करनी होगी तथा शेष धनराशि 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी अन्यथा पूर्व में जमा की गई धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा। 4. उपरोक्त सम्पत्तियों को 'जैसा है जहां है, जो भी है' के आधार पर विक्रय किया जाएगा। प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताये किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। 5. असफल बोलीदाताओं का ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर/आरटीएस/एनईएफटी सम्पत्ति की नीलामी के बाद उसी दिन बिना किसी ब्याज के वापस कर दिया जाएगा। 6. हस्तांतरण से संबंधित व्यय जैसे स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क आदि और अन्य सभी विधायी व्यय सफल बोलीदाताओं द्वारा बहन किए जाएंगे। 7. सम्पत्ति पर सभी सरकारी कर और बकाये की जम्मेदारी बोलीदाता की होगी। 8. अन्य कारकारी के लिए, किसी भी कार्य दिवस पर प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक को सम्बन्धित शाखा से सम्पर्क करें। 9. नीलामी आरक्षित मूल्य से शुरू होगी और बोलीदाताओं को पांच हजार (5,000) के गुणकों में अपनी बोली में सुधार करना होगा। नीलामी समाप्त हो जाने पर सर्वोच्च बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा। 10. यदि ऋणी नीलामी से पूर्व बैंक को सम्पूर्ण धनराशि एवं देय ब्याज अन्य व्यय सहित भुगतान कर देता है तो उपरोक्त खाते में बंधक सम्पत्ति की नीलामी को रद्द कर दिया जाएगा। 11. यह सूचना ऋणी, सहअनुबंधी एवं बंधककर्ताओं को 30 दिनों की सूचना के रूप में पढ़ा जाए।